रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 22 अगस्त, 2001/31 श्रावण, 1923

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 22 अगस्त, 2001

संख्या 1-79/2000-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 140 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2001

1383-राजपत्र/2001-22-8-2001—1,343. (2011) मूल्य : 1 रुपया ।

(2001 का विधेयक संख्यांक 13)" जो आज दिनांक 22 अगस्त, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2001 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 1997-98 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2001 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 22,75,35,93,613 रुपए (बाईस अरब, पचहत्तर करोड़, पैंतीस लाख, तिरानवें हजार, छः सौ तेरह रुपए) है, वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 22,75,35,93,613 रुपए की और राशि प्राधिकृत करना।

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त, सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी। विनियोग।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन	विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपए	रुपए	रुपए
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद् (राजस्व)	10,81,424	7,48,443	18,29,867
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	--	79,77,902	79,77,902
	(पूंजी)	32,04,79,188	—	32,04,79,188
5	भू-राजस्व (राजस्व)	17,85,55,520	—	17,85,55,520
8	शिक्षा, खेलें तथा (राजस्व)	70,27,79,973	10,000	70,27,89,973
	कला और संस्कृति (पूंजी)	2,10,06,384	--	2,10,06,384
9	स्वास्थ्य और (पूंजी) परिवार कल्याण	35,74,686	—	35,74,686
10	लोक निर्माण (राजस्व)	69,06,83,663	—	69,06,83,663
	(पूंजी)	1,04,95,671	—	1,04,95,671
11	कृषि (राजस्व)	5,67,75,576	—	5,67,75,576
12	सिंचाई और बाढ़ (राजस्व)	6,87,97,632	—	6,87,97,632
	नियंत्रण (पूंजी)	4,25,81,647	5,83,012	4,31,64,659
13	भूमि और जल (राजस्व) संरक्षण	47,41,504	—	47,41,504
15	मत्स्य (राजस्व)	9,62,646	—	9,62,646
17	सड़कें और पुल (राजस्व)	1,46,78,070	—	1,46,78,070
	(पूंजी)	18,78,03,911	—	18,78,03,911
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	16,05,374	—	16,05,374
21	सहकारिता (पूंजी)	1,74,61,750	—	1,74,61,750
22	खाद्य और (राजस्व) भण्डारण	1,16,19,629	—	1,16,19,629
23	जल और विद्युत (पूंजी) विकास	16,58,99,000	—	16,58,99,000
26	पर्यटन और आतिथ्य (पूंजी) संगठन	55,29,000	—	55,29,000
28	जलापूर्ति, सफाई, (राजस्व) आवास व नगर विकास	26,23,33,173	—	26,23,33,173
29	वित्त (पूंजी)	—	19,87,68,89,121	19,87,68,89,121
31	जनजातीय (राजस्व) विकास	9,79,39,714	—	9,79,39,714
	जोड़ ..	2,86,73,85,135	19,88,62,08,478	22,75,35,93,613

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान अनुदान और विनियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

प्रेम कुमार धूमल;
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
दिनांक 22 अगस्त, 2001

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल नं0 फिन-ए-डी (6)-2/2001]

हिमाचल पदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2001 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2001

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 1997-98 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

रामेश्वर शर्मा,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
दिनांक 22 अगस्त, 2001

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 13 of 2001.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2001

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year, 1997-98 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2001.

Authorisation of a further sum of Rs. 22, 75,35,93,613 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year, 1997-98.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 22,75,35,93,613 (twenty two hundred seventy five crores, thirty five lakh, ninety three thousands, six hundred thirteen rupees) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year, 1997-98 in excess of the amount authorised or granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year, 1997-98.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Number of Demand	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	10,81,424	7,48,443	18,29,867
4	General Administration	(Revenue)	—	79,77,902	79,77,902
		(Capital)	32,04,79,188	—	32,04,79,188
5	Land Revenue	(Revenue)	17,85,55,520	—	17,85,55,520
8	Education, Sports, Art and Culture	(Revenue)	70,27,79,973	10,000	70,27,89,973
		(Capital)	2,10,06,384	—	2,10,06,384
9	Health and Family Welfare	(Capital)	35,74,686	—	35,74,686
10	Public Works	(Revenue)	69,06,83,663	—	69,06,83,663
		(Capital)	1,04,95,671	—	1,04,95,671
11	Agriculture	(Revenue)	5,67,75,576	—	5,67,75,576
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	6,87,97,632	—	6,87,97,632
		(Capital)	4,25,81,647	5,83,012	4,31,64,659
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	47,41,504	—	47,41,504
15	Fisheries	(Revenue)	9,62,646	—	9,62,646
17	Roads and Bridges	(Revenue)	1,46,78,070	—	1,46,78,070
		(Capital)	18,78,03,911	—	18,78,03,911
20	Rural Development	(Revenue)	16,05,374	—	16,05,374
21	Co-operation	(Capital)	1,74,61,750	—	1,74,61,750
22	Food and Warehousing	(Revenue)	1,16,19,629	—	1,16,19,629
23	Water and Power Development	(Capital)	16,58,99,000	—	16,58,99,000
26	Tourism and Hospitality Organisation	(Capital)	55,29,000	—	55,29,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	26,23,33,173	—	26,23,33,173
29	Finance	(Capital)	—	19,87,68,89,121	19,87,68,89,121
31	Tribal Development	(Revenue)	9,79,39,714	—	9,79,39,714
		Total ..	2,86,73,85,135	19,88,62,08,478	22,75,35,93,613

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with clause (1) of article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 1997-98.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 22 *August*, 2001

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[FINANCE DEPARTMENT FILE NO. FIN. A-D (6)2/2001]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Bill, 2001, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 2001

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 1997-98 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

RAMESHWAR SHARMA,
Secretary (Law).

SHIMLA:
The 22 August, 2001

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित